17.4.26 उभय पक्ष उपस्थित। वाद-पत्र वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

BL

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2027/00329

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:37 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 90/2017 Gams:- 2017/00329 दायर दिनांक : 05.05.2017

1. शरीफा पत्नी स्व. सोहने खां
2. नेकमोहम्मद पुत्र स्व. सोहने खां
3. शेरमोहम्मद पुत्र स्व. सोहनेखां (मृतक)
   3/1. प्रवीना पत्नी शेरमोहम्मद
   3/2. मदिना
   3/3. इशाक मोहम्मद
   3/4. हजरत फिजा
   (पि० शेरमोहम्मद नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता प्रवीना पत्नी शेरमोहम्मद)
4. लाली पुत्री स्व. सोहनेखां
5. नेका पुत्री स्व. सोहनेखां

निवासीयान ग्राम ढुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. मम्मे खां पुत्र गुलामखां (मृतक)
   1/1. राजबी पत्नी मोहम्म्द रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
   1/2. नूर बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी बिलाल खां जाति मुसलमान निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़
   1/3. सरदारा बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी इशे खां जाति मुसलमान निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़
   1/4. नियामत बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी उमर खां जाति मुसलमान निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़
   1/5. गुलाम मेशां पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी सलीम खां जाति मुसलमान निवासी बिरधवाल हैड तहसील सूरतगढ़
   1/6. भूरा बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी बग्गू खां जाति मुसलमान निवासी हिन्दौर तहसील सूरतगढ़
   1/7. शराफा बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी अल्लादिता जाति मुसलमान निवासी ढाबा झल्लार तहसील सूरतगढ़
   1/8. रहमत बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी अकबर खां जाति मुसलमान निवासी ढाबा झल्लार तहसील सूरतगढ़
   1/9. गुफफार बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:37 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

1/10. हकनवाज पुत्र मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी ठुकराना तहसील सूरतगढ़

1/11. अब्दूल हकनवाज पुत्र मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

1/12. मुस्ताक खां पुत्र मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

1/13. मोहम्मद इशाक खां पुत्र मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

2. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—प्रतिवादीगण

**वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

उपस्थित :
1. श्री राकेश सारस्वत, अभिभाषकगण वादीगण
2. श्री भगवान दत्त शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 (1/1 से 1/13)
3. पैरोकार राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

## निर्णय

दिनांक : 17.04.2026

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। पक्षकारान के अभिभाषकगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में, पत्रावली के विचारण तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण शरीफा वगैरह ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता स्व. सोहनेखां पुत्र गुलाम मोहम्मद के नाम से रोही ठुकराना के खाता सं. 475/320 में खसरा नं. 185 में 50.00 बीघा खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी और उनके स्वर्गवास उपरान्त उक्त भूमि वादीगण के नाम विरासतन पुराने खसरा नं. 185 के नए खसरा नं. 596/185 में 12.650 है0 खातेदारी भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 के खाता सं. 475/320 में दर्ज है, जो ग्राम ठुकराना से फरीदसर जाने वाले ग्रामीण रास्ता के उत्तर की तरफ 8.00 बीघा व 42.00 बीघा दक्षिण की तरफ स्थित है। वादीगण की रास्ता के उत्तर की तरफ की 8.00 बीघा भूमि में वादीगण का कब्जा हुआ है। इस 8.00 बीघा भूमि पर, प्रतिवादी सं. 1 मम्मेखां (वर्तमान में मृत) वादीगण का चाचा लगता है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:37 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और वादीगण को धमकी दे रहा है कि इस 8.00 बीघा भूमि पर कब्जा छोड़ दो, वरना झूठे मुकदमे में फंसवा कर सजा करवा दूंगा। प्रतिवादी सं. 1 मम्मेखां ने पहले भी वादीगण की रास्ता के उत्तर दिशा वाली 8.00 बीघा भूमि पर कब्जा करने हेतु एक वाद इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो बाद में झूठा साबित होने के डर से दिनांक 21.04.2017 को निर्धारित तारीख पेशी 02.05.2017 से पहले ही अर्थ के प्रभाव से उठा लिया था। वादीगण स्वयं की खातेदारी भूमि काश्त कर अपने परिवार का भरण–पोषण कर रहे हैं, लेकिन प्रतिवादी सं. 1, वादीगण की रास्ता के उत्तर दिशा वाली 8.00 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा करने पर तुला हुआ है और ऐलानिया धमकी दे रहा है कि इस भूमि से कब्जा छोड़ दो, वरना वर्षा होते ही काश्त करूंगा, इसलिए वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाने का निवेदन किया कि वे रोही ठुकराना के पुराने खसरा नं. 185 के नवीन खसरा नं. 596/185 खाता सं. 475/320 में वादीगण के नाम अंकित 12.650 है0 भूमि, जिसमें वादीगण द्वारा निर्मित पानी की पक्की कुण्ड है और ग्रामीण रास्ते के दोनों तरफ चिपती हुई है, व वादीगण के कब्जा काश्त में है, में प्रतिवादी सं. 1 ना तो स्वयं एवं ना ही अन्य किसी व्यक्ति के सहयोग से दखलन्दाजी करें।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बाद आने जवाब निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

(1) आया कि रोही ठुकराना के खसरा संख्या 185 पुराना 596/185 नया खाता संख्या 475/320 में वादीगण के नाम अंकित 50.00 बीघा तादादी 12.650 है0 भूमि में से ग्राम ठुकराना से ग्राम फरीदसर की ओर जाने वाले ग्रामीण रास्ता के उत्तर [illegible] वादीगण की 8.00 बीघा भूमि रास्ता के चिपते हुए तथा शेष 42.00 [illegible] भूमि दक्षिण दिशा में रास्ते के चिपते स्थित है ?
(वादीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:37 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(2) आया कि तनकी सं. 1 में अंकित भूमि जिसमें वादीगण द्वारा निर्मित पक्के पानी कुण्ड सहित वादीगण के कब्जा काश्त में प्रतिवादी सं. 1 मम्मे खां ना तो स्वयं दखलन्दाजी करे एवं ना ही किसी अन्य से करवाये ? (वादीगण)

(3) आया कि खसरा सं. 594/185 में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कुण्ड बनाया गया है, खसरा संख्या 596/185 में कुण्ड नहीं है ? (प्रतिवादी सं. 1)

(4) आया कि मौका पर कुण्ड बने भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा है तथा यह खसरा संख्या 594/189 का भाग है एवं वादी का सड़क पार 8.00 बीघा पर कब्जा नहीं है ? (प्रतिवादी सं. 1)

(5) अन्य अनुतोष।

अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं. 1 मम्मे खां के फौत हो जाने पर उनके स्थान पर उनके वारिसान व वादी सं. 3 शेरमोहम्मद के फौत हो जाने पर उनके स्थान पर उनके वारिसान को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया, जिन पर अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं किये जाने पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये। साक्ष्य प्राप्त किये गये। वादीगण की ओर से नेक मोहम्मद पुत्र सोहने खां व प्रतिवादीगण की ओर से हकनवाज पुत्र मम्मेखां ने शपथ–पत्र पर स्वयं के बयान प्रस्तुत किये, जिन पर क्रमशः जिरह वकील प्रतिवादीगण व वादीगण समायत की गई। वादीगण व प्रतिवादीगण और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते, इसलिए साक्ष्य वादीगण व प्रतिवादीगण बन्द किये जाकर तर्क सुने गये।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत दस्तावेजों की ओर ध्यान दिलाया व निवेदन किया कि वादीगण के नाम रोही ठुकराना तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 के खाता सं. 475/320 के खसरा नं. 596/18[illegible] 1[illegible]50 है0. बारानी खातेदारी भूमि दर्ज है, इस भूमि में से ग्राम ठुकराना से [illegible]दसर जाने वाले ग्रामीण रास्ता निकलता है। वादीगण की 42 बीघा की भूमि इस रास्ते के दक्षिण दिशा में है व 8 बीघा भूमि उत्तर दिशा में है, जिसमें वादीगण का पानी का पक्का कुण्ड बना

क्रमशः ..... पेज 5 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हुआ है, जिस पर वादीगण का चाचा प्रतिवादी सं. 1 मम्मेखां और उनके फौत हो जाने पर अब उनके वारिसान कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं व लड़ाई–झगड़ा भी करते हैं। वादीगण जैरवाद भूमि के अंकित काश्तकार हैं व काबिज काश्त हैं, इसलिए वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण के कब्जा काश्त में जबरन दखलन्दाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण द्वारा जिस भूमि पर कुण्ड बना हुआ बताया जा रहा है, वह प्रतिवादीगण की खसरा नं. 594/185 की भूमि में बना हुआ है। वास्तविक स्थिति यह है कि वादीगण, प्रतिवादीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए प्रतिवादी सं. 1 मम्मे खां ने वादीगण के विरुद्ध मम्मेखां बनाम शरीफा वगैरह का दावा अलग से पेश कर रखा है। जैरवाद भूमि के कब्जा के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है व ना ही अंकित खसरा का मौका नक्शा प्रस्तुत किया गया है, इसलिए वादीगण को रोही ठुकराना के खसरा नं. 596/185 का काश्तकार तो माना जा सकता है, किन्तु भूमि की स्थिति स्पष्ट ना होने से वाद सन्देह से परे साबित नहीं होने से वाद वादीगण निरस्त करने की प्रार्थना की। पैरोकार राज ने राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का पठन व मनन करने के उपरान्त तनकीवार विस्तृत विवेचन निम्न प्रकार से हैं :–

तनकी नं. (1) – <u>आया कि रोही ठुकराना के खसरा संख्या 185 पुराना 596/185 नया खाता संख्या 475/320 में वादीगण के नाम अंकित 50.00 बीघा तादादी 12.650 [illegible] भूमि [illegible] ठुकराना से ग्राम फरीदसर की ओर जाने वाले ग्रामीण [illegible] की 8.00 बीघा भूमि रास्ता के चिपते हुए तथा शेष 42.00 [illegible] दिशा में रास्ते के चिपते स्थित है ?</u> (वादीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:37 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

स्वयं के शपथ–पत्र व जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 72 रोही ठुकराना खाता सं. 475/320 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है जिसमें वादीगण शरीफा वगैरह के नाम रोही ठुकराना के खसरा नं. 596/185 में 12.650 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण ने वाद एवं साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ–पत्र में यह अंकित किया है कि इस भूमि में से ग्राम ठुकराना से फरीदसर जाने वाले ग्रामीण रास्ता निकलता है। वादीगण की 42 बीघा की भूमि इस रास्ते के दक्षिण दिशा में है व 8 बीघा भूमि उत्तर दिशा में है। इसके प्रति उत्तर में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ। हालांकि प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में प्रस्तुत हकनवाज पुत्र मम्मेखां के शपथ–पत्र में यह अंकित किया गया है कि शरीफा वगैरह व मम्मेखां की भूमि से सटी हुई सड़क है जिसके उत्तर में प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है व कुण्ड बना हुआ है एवं दक्षिण में शरीफा वगैरह का कब्जा काश्त है, लेकिन जिरह में हकनवाज ने यह स्वीकार किया है कि उनकी भूमि फरीदसर रोड पर है जो पूर्व से पश्चिम चल रही है। ये बात गलत है कि वादीगण की जमीन उत्तर में है व प्रतिवादीगण की जमीन दक्षिण में है। वादीगण द्वारा मात्र दस्तावेजी साक्ष्य से रोही ठुकराना में खसरा नं. 596/185 में 12.650 है0 भूमि जमाबन्दी से सिद्ध होती है, किन्तु इसका कोई नक्शा पेश नहीं किया गया है, इसलिए वादीगण की 12.650 है0 भूमि खसरा नं. 596/185 में होनी सिद्ध होती है, जिसके वे कब्जे के अधिकारी हैं। नक्शा प्रस्तुत न होने से विशिष्ट भू–भाग का निर्णय नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यह तनकी नं. 1 आंशिक बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (2) – आया कि तनकी सं. 1 में अंकित भूमि जिसमें वादीगण द्वारा निर्मित पक्के पानी कुण्ड सहित वादीगण के कब्जा काश्त में प्रतिवादी सं. 1 मम्मे खां ना तो स्वयं दखलन्दाजी करे एवं ना ही किसी अन्य से करवाये ?

(वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 1 से है। वादीगण द्वारा मात्र दस्तावेजी साक्ष्य से रोही ठुकराना में खसरा नं. 596/185 में 12.650 है0 भूमि जमाबन्दी से सिद्ध होती है, किन्तु इसका कोई नक्शा पेश नहीं किया गया है, इसलिए वादीगण की 12.650 है0 भूमि खसरा नं. 596/185 में होनी सिद्ध होती है, जिसके वे कब्जे के अधिकारी हैं, इसलिए वादीगण अपने कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने

क्रमशः ..... पेज 7 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार हैं। कुण्ड को दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध नहीं किया गया है। अतः तनकी नं. 2 वादीगण के नाम खसरा नं. 596/185 में अंकित 12.650 है0 भूमि होने की सीमा तक एवं उसका कब्जा खसरे की सीमा तक बनाये रखने का अधिकार स्वीकार किया जाता है, इसी यह तनकी नं. 2 आंशिक बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (3) – <u>आया कि खसरा सं. 594/185 में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कुण्ड बनाया गया है, खसरा संख्या 596/185 में कुण्ड नहीं है ?</u> (प्रतिवादी सं. 1)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए तनकी नं. 3 विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (4) – <u>आया कि मौका पर कुण्ड बने भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा है तथा यह खसरा संख्या 594/189 का भाग है एवं वादी का सड़क पार 8.00 बीघा पर कब्जा नहीं है ?</u> (प्रतिवादी सं. 1)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादीगण पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए तनकी नं. 4 विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी नं. 1 व 2 आंशिक बहक वादीगण एवं तनकी नं. 3 व 4 विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णय होने वाद वादीगण आंशिक स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे रोही ठुकराना तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 475/320 के खसरा नं. 596/185 में वादीगण के नाम अंकित 12.650 है0 भूमि, जो वादीगण के कब्जा काश्त में है, में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करावें। विवाद की स्थिति में पक्षकारान अंकित भूमि का नक्शा व अपने–अपने खसरे व भूमि की सीमा अनुसार पैमाइश करवाने को स्वतंत्र हैं। डिक्री ज़ारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक ...17.04.2026 को निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

# डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

---

अनवान :–

1. शरीफा पत्नी स्व. सोहने खां
2. नेकमोहम्मद पुत्र स्व. सोहने खां
3. शेरमोहम्मद पुत्र स्व. सोहनेखां (मृतक)
   - 3/1. प्रवीना पत्नी शेरमोहम्मद
   - 3/2. मदिना, 3/3. इशाक मोहम्मद, 3/4. हजरत फिजा — पि0 शेरमोहम्मद नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता प्रवीना पत्नी शेरमोहम्मद
4. लाली पुत्री स्व. सोहनेखां
5. नेका पुत्री स्व. सोहनेखां

निवासीयान ग्राम ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. मम्मे खां पुत्र गुलामखां (मृतक)
   - 1/1. राजबी पत्नी मोहम्द रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
   - 1/2. नूर बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी बिलाल खां जाति मुसलमान निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़
   - 1/3. सरदारा बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी इशे खां जाति मुसलमान निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़
   - 1/4. नियामत बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी उमर खां जाति मुसलमान निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़
   - 1/5. गुलाम मेशां पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी सलीम खां जाति मुसलमान निवासी बिरधवाल हैड तहसील सूरतगढ़
   - 1/6. भूरा बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी बग्गू खां जाति मुसलमान निवासी हिन्दौर तहसील सूरतगढ़
   - 1/7. शराफा बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी अल्लादिता जाति मुसलमान निवासी ढ़ाबा झल्लार तहसील सूरतगढ़
   - 1/8. रहमत बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी अकबर खां जाति मुसलमान निवासी ढ़ाबा झलार तहसील सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:37 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

1/9. गुफफार बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

1/10. हकनवाज पुत्र मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी ठुकराना तहसील सूरतगढ़

1/11. अब्दूल हकनवाज पुत्र मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

1/12. मुस्ताक खां पुत्र मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

1/13. मोहम्मद इशाक खां पुत्र मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

2. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 188 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 90 वर्ष 2017 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री राकेश सारस्वत व अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 (1/1 से 1/13) श्री भगवान दत्त शर्मा एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

**वाद वादीगण आंशिक स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे रोही ठुकराना तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 475/320 के खसरा नं. 596/185 में वादीगण के नाम अंकित 12.650 है0 भूमि, जो वादीगण के कब्जा काश्त में है, में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करावें। विवाद की स्थिति में पक्षकारान अंकित भूमि का नक्शा व अपने–अपने खसरे व भूमि की सीमा अनुसार पैमाईश करवाने को स्वतंत्र हैं।**

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की डिग्री करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत आज दिनांक 17.04.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)